राजस्व अपील संख्या : 100 / 2024
उनवान : जोगाराम मीणा बनाम स्व. प्रकाश के का.मु. हिम्मत व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 100 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 565

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
जोगाराम मीणा पुत्र उदाराम जाति मीणा निवासी माताजी गुड़ा तहसील रानी जिला पाली राज.		स्व. प्रकाश पुत्र रामाराम जाति भील के कायम मुकाम वारिसानः– 1.1 हिम्मत पुत्र प्रकाश 1.2 विनोद पुत्र प्रकाश 1.3 राधा पत्नी प्रकाश तमाम जातिगण भील केयर ऑफ महेन्द्र भील निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली राज. रेस्पोडेण्ट संख्या 1.1 एवं 1.2 नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरक्षक माता रेस्पोडेण्ट संख्या 1.3 राधा पत्नी महेन्द्र (पूर्व पत्नि प्रकाश) जाति भील निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय आदेश के आधार पर तहसीलदार देसूरी के द्वारा ग्राम छोड़ा तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1377 जो आदेश दिनांक 14.08.2024 को स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल परिहार
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार शर्मा।

<u>–:निर्णयः–</u>

दिनांकः 13.08.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **न्यायालय आदेश के आधार पर तहसीलदार देसूरी के द्वारा ग्राम छोड़ा तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1377 जो आदेश दिनांक 14.08.2024 को स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध पेश की गई।** अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं ग्राम छोड़ा तहसील देसूरी में कृषि भूमि खसरा संख्या 591 क्षेत्रफल 1.1600 हैक्टेयर के खातेदार प्रकाश पुत्र रामाराम की मृत्यु के बाद

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 100/2024
उनवान : जोगाराम मीणा बनाम स्व. प्रकाश के का.मु. हिम्मत व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उत्ताधिकार नामान्तरकरण संख्या 1176 स्वीकृति दिनांक 22.12.2021 के जरिये प्रकाश के वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 1.1 लगाय 1.3 के नाम भू अधिकार अभिलेखों में प्रविष्ट किया गया रेस्पोडेण्ट संख्या 1.1 लगाय 1.3 ने पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.12.2021 के जरिये उक्त खातेदारान् ने अपीलार्थी के हक में बेचान हस्तान्तरण की थी उक्त पंजीवद्ध विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1180 स्वीकृति दिनांक 10.01.2022 की कार्यवाही के जरिये भू अधिकार अभिलेखो में अपीलार्थी का नाम भी प्रविष्ट किया गया। तथाकथित तीजो उर्फ बबली एवं उक्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदार हिम्मत, विनोद पुत्र प्रकाश, राधा पत्नी स्व. प्रकाश व उनके साथियों ने मिलकर दुरभि सन्धि के तहत अपीलार्थी जोगाराम की खरीदशुदा, कब्जाशुदा उपरोक्त भूमि को हड़पने के नापाक उद्देश्य से आपराधिक षडयन्त्र रचकर तैयार की गयी योजना के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना तथाकथित तीजो उर्फ बबली ने स्वयं को तथाकथित रामलाल की पत्नी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1.1 एवं 1.2 की प्राकृतिक सरक्षक एवं दादी होना बताकर एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1.3 राधा पत्नी स्व. प्रकाश की बजाय तथाकथित महेन्द्र की पत्नी होना बताकर दुरभिःसंधि के तहत नामान्तरकरण संख्या 1176 स्वीकृति दिनांक 22.12.2021 के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 38/2022 तीजो वगैरा बनाम राधा वगैरा रही है। उक्त अपील की जानकारी होने पर उक्त भूमि के खरीददार, रिकॉर्डेड खातेदारान एवं हितबद्ध अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के पक्षकार बनने हेतु मय पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.12.2021, यूको बैंक सादडी की पासबुक, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, की फोटोप्रति सहित अन्य दस्तावेजों को सलंग्न कर दिनांक 01.12.2022 को अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त म्यूटेशन अपील संख्या 38/2022 की पत्रावली आदेशिका दिनांक 20.12.2021 के जरिये श्रीमान् न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित की गयी।

न्यायालय को स्थानान्तरित पत्रावली प्राप्त होने पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा नये सिरे से दिनांक 26.12.2022 को दर्ज कर राजस्व अपील संख्या 06/2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/02 तीजो वगैरा बनाम राधा वगैरा में पक्षकारान/वकुलाय को सूचित करने हेतु दिनांक 26.12.2022 को आदेशिका लिखी गयी परन्तु पूर्व से पत्रावली में दिनांक 01.12.2022 को अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के आवेदक व आवेदक के अधिवक्ता को श्रीमान् न्यायालय द्वारा आदिवस तक नोटिस जारी नही कर एवं उक्त बाबत् रेस्पोडेण्ट एक लगाय चार ने भी अपीलार्थी को न्यायालय से तलब नही करवा कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर दुरभिःसन्धि के तहत श्रीमान न्यायालय को अन्धेरे मे रखकर छल कपट के जरिये अपीलार्थी की अनुपस्थिति में दिनांक 24.05.2024 को अपीलार्थी का आवेदन खारिज करवा कर उक्त अपील दिनांक 14.06.2024 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णीत की जाकर अपील स्वीकार की गयी है जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा जरिये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 100/2024
उनवान : जोगाराम मीणा बनाम स्व. प्रकाश के का.मु. हिम्मत व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

अधिवक्ता पत्रावली प्राप्त कर उपरोक्त उल्लेखित भूमि के खरीददार, खातेदार, हितवद्ध व्यक्ति अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपील संख्या 06/2022 में पारित आदेशिका दिनांक 24.05.2021 एवं पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 से व्यथित पक्षकार जोगाराम द्वारा आदेशिका दिनांक 24.05.2021 एवं पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 को अपास्त करवाने हेतु श्रीमान न्यायालय मे आवेदन अन्तर्गत धारा 65 राजस्था भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर रखी है। जो आज भी लम्बित है। जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.09.2024 को नियत है। उक्त आवेदन के सलग्न स्थगन याचिका प्रकरण संख्या 423/2024 जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/541 में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 के पालना प्रभाव की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1.1 लगाय 1.3 एवं तीजो ने अपीलार्थी के बाला बाला दिनांक 12.08.2024 को न्यायालय आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1377 खुलवाकर रेस्पोडेण्ट संख्या दो से दिनांक 14.08.2024 को स्वीकृत करवाया है। अपीलार्थी के विरुद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या दो द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील बिना देरी के निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है:-

यह है कि नामान्तरकरण संख्या 1377 स्वीकृति दिनांक 14.08.2024 बाबत तहसीलदार देसूरी ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना दिये बगैर बिना किसी जांच व आधार के पारित कर स्वीकृति किया जो विधि के सर्वथा विपरित होने से प्रारम्भतः शून्य है।

यह है कि उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि आराजी से संबंधित जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1377 के संबंध में पारित स्वीकृति दिनांक 14.08.2024 विधि के प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल होने से प्रभावहीन एवं स्वतः अवैध है।

यह भी कि जैर अपील आलोच्य कार्यवाही आदेश नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व अथवा स्वीकृति से पहले अपीलार्थी को सूचना पत्र दिया जाना कानूनन आवश्यक था, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सूचित नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी की है। जिससे भी अपीलार्थी की उक्त अपील काबिल स्वीकृति है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार देसूरी द्वारा ग्राम छोड़ा तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1377 के स्वीकृति बाबत पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 को निरस्त फरमाया जाए।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री सन्तोष शर्मा पैरवी हेतु उपस्थित। रेस्पोडेण्ट संख्या दो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

स्व. धन कँवर के

राजस्व अपील संख्या : 100 / 2024

उनवान : जोगाराम मीणा बनाम स्व. प्रकाश के का.वा. हिम्मत व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1377 दिनांक 14.08.2024 को स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलार्थीगण को न तो सूचना दी गई और न ही सम्यक जांच की गई। यह भी, कि अपीलार्थीगण को सूचित नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी की गई है एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से आलोच्य नामान्तरकरण प्रभावहीन एवं स्वतः अवैध है। जिसे खारिज फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि हस्तगत अपील के द्वारा जिस नामान्तरकरण संख्या 1377 दिनांक 14.08.2024 को चुनौति दी गई है, वह नामान्तरकरण इसी न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण संख्या 38 / 2022 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 2) बउनवान तीजो उर्फ बबली बनाम राधा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 की अनुपालना में दर्ज होकर स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील सुनने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत अपील वैधानिक दृष्टि से संधारणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण संख्या 38 / 2022 निर्णय दिनांक 14.06.2024 का अंकन करते हुए यह स्वीकार किया है कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1377 न्यायालय आदेश की पालना में दर्ज एवं स्वीकृत किया गया है। अपील मीमों के संलग्न जमाबन्दी में भी नामान्तरकरण संख्या 1377 दिनांक 14.08.2024 न्यायालय आदेश की पालना में स्वीकृत होने का नोट अंकित है। इस प्रकार यह निर्विवाद सत्य है कि इसी न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण संख्या 38 / 2022 बउनवान तीजो उर्फ बबली बनाम राधा व अन्य में प्रदत निर्णय दिनांक 14.06.2024 की अनुपालना में स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1377 को पुनः इसी न्यायालय में चुनौति प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलार्थी से यह अपेक्षित था कि यदि वह इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त प्रकरण में प्रदत निर्णय दिनांक 14.06.2024 से व्यथित थे तो उस निर्णय के विरुद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते, किन्तु उनके द्वारा इस वैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करने की बजाय उक्त न्यायिक निर्णय की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण को चुनौति दी गई। यदि ऐसी अपील स्वीकार की जाती है तो यह न्यायिक अधिकारों एवं प्रक्रिया का दुरुपयोग ही होगा, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है।

सारांशतः, में उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर पटवार मण्डल छोड़ा के नामान्तरकरण संख्या 1377 आज्ञा दिनांक 14.08.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वाँछनीय नही है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 100/2024

उनवान : जोगाराम मीणा बनाम स्व. प्रकाश के का.मु. हिम्मत व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली